

कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, नयागांव  
कोटा

email id- [balakhomekota123@gmail.com](mailto:balakhomekota123@gmail.com)

क्रमांक :- 326

दिनांक : 28.03.2022

खुली प्रतियोगी बोली निविदा सूचना संख्या 05/2021-22

बाल अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागांव, कोटा में आवासरत बालको के भोजन हेतु मौसमी ताजा हरि सब्जी एवं ताजा फल की वित्त वर्ष 2022-23 हेतु क्रय एवं आपूर्ति बाबत दिनांक 05.04.22 को दोपहर 02.00 बजे तक मूहरबंद लिफाफों में बोलियां आमंत्रित की जाती है। बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईट <http://sje.rajasthan.gov.in> या लोक उपापन पोर्टल [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) एवं डी पी आर की वेबसाईट [www.dipronline.org](http://www.dipronline.org) पर देखी जा सकती है ।

UBN:- CED2122GSOB00074

NIB CODE: CED2122A0069

अधीक्षक

राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह  
बाल अधिकारिता विभाग,  
कोटा

क्रमांक: सम्प्रेक्षण / 2021-22 / 327-33

दिनांक : 28.03.2022

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त विज्ञप्ति की 03 प्रतियां भिजवाकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति का नियमानुसार आपके विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करावे एवं निविदा सूचना एक क्षेत्रीय स्तर के मुख्य दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित करावें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन हैं कि नियमानुसार विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करावें।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/जिला परिषद/नगर निगम कोटा।

अधीक्षक

राजकीयसम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह  
बाल अधिकारिता विभाग,  
कोटा

कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, नयागावं, कोटा

email id- [balakhomkota123@gmail.com](mailto:balakhomkota123@gmail.com)

क्रमांक:-असगृ/2022/326

दिनांक:-28.03.22

**मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल के क्रयार्थ सीमित निविदा 05/2021-22**

बाल अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा में आवासरत बालको के भोजन हेतु मौसमी ताजा हरि सब्जी एवं ताजा फल की वित्त वर्ष 2022-23 हेतु क्रय एवं आपूर्ति बाबत दिनांक 05.04.22 को दोपहर 02.00 बजे तक मूहरबंद लिफाफों में बोलियां आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	विवरण	अधिकतम बालको की संख्या प्रतिदिन	अनुमानित मात्रा प्रति बालक प्रतिदिन	अनुमानित मूल्य वार्षिक	बिड प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)
1.	हरि सब्जी पत्तेदार मौसम अनुसार	50	0.100 कि.ग्रा.	रु0 0.72 लाख	रु. 200 मात्र	रु: 4800 /-
2.	सब्जी बिना पत्तेदार मौसम अनुसार	50	0.130 कि.ग्रा.	रु0 0.82 लाख		
3.	प्याज, अदरक, लहसून	50	0.030 कि.ग्रा.	रु0 0.13 लाख		
4.	ताजा फल मौसम अनुसार	50	0.100 कि.ग्रा. अथवा 01नग	रु0 0.72 लाख		
			<b>योग:-</b>	<b>रु0 2.39 लाख</b>		

**बिड की शर्त:-**

- बोली प्रतिभूति बण्ड के बिना प्राप्त बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- संविदा प्रपत्र, नियम/शर्त, संविदा से संबंधित दस्तावेज आदि निर्धारित बिड प्रपत्र शुल्क रु. 200 का डीडी/बैंकर्स चैक अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह कोटा के कार्यालय में जमा कराकर 05/04/2022 दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं या वेबसाइट [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) से बिड प्रपत्र Online Download कर भरकर प्रस्तुत किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र सील बंद लिफाफे में, जिसके उपर 'मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल' के क्रयार्थ सीमित निविदा' अंकित हो, अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा के कार्यालय में दिनांक 05.04.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त बिड को दिनांक 05.04.2022 को दोपहर 03.00 बजे से उपस्थित बिडदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा में खोला जाएगा।
- बिड के साथ में बिड प्रतिभूति राशि रु0 4,800 /- आयकर विभाग द्वारा जारी PAN Card की बिडदाता द्वारा स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
- निविदादाता को सभी सामग्री की दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उपापन संस्था न्यूनतम दर वाले संविदा को स्वीकार किए जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी संविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगी। समस्त मामलों में उपापन कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य रहेगा।
- बिड प्रपत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 के प्रावधान व समय समय पर किए गए संशोधन भी उक्त कोटेशन आमंत्रण सूचना पर लागू होंगे।

(अर्पित)   
अधीक्षक

राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह  
बाल अधिकारिता विभाग, नयागावं कोटा

कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, नयागावं, कोटा

email id- [balakhomekota123@gmail.com](mailto:balakhomekota123@gmail.com)

क्रमांक:-असगु / 2022 / 326

दिनांक:-28.03.22

**मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल के क्रयार्थ सीमित निविदा 05 / 2021-22**

(अन्तर्गत सूचना संख्या 05 / 2022 क्रमांक:-असगु / 2022 / 326 दिनांक:- 28.03.22)

1. बिड मूहरबंद लिफाफे में, जिसके उपर " मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल के क्रयार्थ सीमित निविदा" अंकित हो, अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा के कार्यालय में दिनांक 05.04.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए।
2. प्राप्त निविदा को दिनांक 05.04.2022 को दोपहर 03.00 बजे से उपस्थित बिडदाताओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
3. बिड प्रपत्र शुल्क रु. 200 /- डी0डी0 / बैंकर्स चैक / नं0..... दिनांक.....  
(अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा के नाम कोटा मुख्यालय पर भुगतान योग्य)
4. **बिड प्रतिभूति राशि रु0 4,800 /- के डी0डी0 की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

बोलीदाता निम्न दस्तावेज की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी-

क्र.सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जावे
1.	1. बोलीदाता फर्म का पूरा नाम एवं पता (पंजीयन प्रमाण पत्रानुसार)	
	2. फोन नंबर <b>STD Code</b> सहित	
	3. ई मेल आई डी	
	4.अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद <b>(Authorised signatory)</b> (अधिकृति पत्र संलग्न करावें)	
	5. मोबाईल नम्बर	
2.	बोली किससे संबंधित है	अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा
3.	बोली का सन्दर्भ	निविदा संख्या 05 / 2021-22 क्रमांक:-असगु / 2022 / .326 दिनांक:-28.03.2022
4.	<b>बिड प्रतिभूति राशि ( रु0 4,800 /- के डी0डी0 की प्रति)</b>	
5.	बिड प्रपत्र शुल्क रु. 200 /-	डी0डी0 / बैंकर्स चैक / नं0..... दिनांक.....



6.	PAN No. (पैन कार्ड) की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।	
7.	फर्म के बैंक खाते का विवरण 1. बैंक का नाम 2. ब्रांच का नाम 3. खाता संख्या 4. IFSC कोड	
8.	क्या फर्म को कभी केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा काली सूची (Black Listed) में दर्ज किया गया है? यदि हाँ तो विवरण देवे और यदि नहीं तो Annexure -A में घोषणा करें।	
9.	बोलीदाता के थोक विक्रेता/एक मात्र सोल या उप विक्रेता/प्राधिकृत सोल विक्रेता/विपणन एजेंट होने के संबंध में घोषणा एस0आर0 11 संलग्न करें Annexure -B	
10.	संलग्न Annexure -C हस्ताक्षरित	
12.	संलग्न Annexure -D हस्ताक्षरित	
13.	संलग्न Annexure -E हस्ताक्षरित	

मैं/हम अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नयागावं, कोटा द्वारा जारी की गई निविदा संख्या 05/2022 क्रमांक:-असगृ/2022/326 दिनांक:-28.03.2022 में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरुद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए समक्ष होगा।

**बिड**

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 ( निवास )-  
मोबाईल नम्बर

( कार्यालय )  
ई-मेल



**राजस्थान सरकार**

**कार्यालय अधीक्षक, राजकीय सम्प्रोक्षण एवं किशोर गृह,  
बाल अधिकारिता विभाग,कोटा**

**निविदा में ताजा पत्तेदार हरि सब्जी /बिना पत्तेदार सब्जी /फल आपूर्ति संबंधित  
विवरण**

संख्या में स्वीकृत	50	
आवस्यताओं की संख्या	ताजा फल एवं पत्तेदार हरि सब्जी, बिना पत्तेदार हरि सब्जी, प्याज,लहसुन,हरि मिर्ची, हरा धनिया इत्यादि	
आपूर्ति सामग्री का नाम	आपूर्ति समय एवं सोशियल विवरण	अनुमानित राशि
कार्य का विवरण	परिसेर में प्रातः 10.00 बजे से पूर्ण आवासी बालको की वास्तविक उपस्थिति संख्या अनुसार निम्न विवरणानुसार सब्जी /फल की आपूर्ति करनी होगी- 1. प्रतिदिन प्रति बालक 0.100ग्राम पत्तेदार सब्जी नौसमानुसार 2. प्रतिदिन प्रति बालक 0.130ग्राम बिना पत्तेदार सब्जी नौसमानुसार 3. प्रतिदिन प्रति बालक 0.030ग्राम प्याज,लहसुन,अदरक 4. प्रतिदिन प्रति बालक 01ग्राम फल(0.100ग्राम) अथवा 0.100 ग्राम ताजा फल नौसमानुसार	239 लाख वार्षिक
अधीक्षक राजकीय सम्प्रोक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग,कोटा में अवांशित बालको हेतु प्रतिदिन प्रातः 8 00 से 10.00 बजे के मध्य तक संस्था परिसेर में ताजा फल एवं पत्तेदार हरि सब्जी, बिना पत्तेदार हरि सब्जी, प्याज, लहसुन, हरि मिर्ची, हरा धनिया इत्यादि आपूर्ति कार्य		

निविदा की कुल राशि रु0 2.39 लाख शब्दों में रूपय दो लाख उच्चालीस हजार मात्र

- नोट :- 1. संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरें (समस्त करों /शुल्क सहित /एफ.ओ.आर. आपूर्ति सहित) प्रस्तुत की जायेगी।  
2. प्रतिदिन ताजा सब्जी एवं फल की आपूर्ति दी जायेगी।  
3. उद्योग व पुष्पनी सब्जी एवं फल की आपूर्ति स्वीकार नहीं किये जायेगी जिसमें 'पुराल संवेदक के द्वारा बदलकर देना होगा।  
4. प्रतिमाह 1 से 5 तारीख के मध्य बिल दो परिवारों में प्रस्तुत करना होगा।  
5. बजट उपलब्धता अनुसार पिछले माह के बिल का आगामी माह में भुगतान देय होगा।  
6. नियमानुसार आवश्यक करों की बिल से कटौती देय होगी।  
7. माह में तीन बार बिना किसी ठोस कारण से आपूर्ति में असफल होने की स्थिति में धरोहर राशि जमा कर ली जायेगी।

हरसाक्षर संवेदक /बोलीदाता

मैं /हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म उक्त तकनीकी मापदण्ड अनुसार सामग्री  
सप्लाय करने को वाध्या रहेंगे।

**बिड़दाता के हस्ताक्षर मय मुहर**

बिड़ दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन नं0 ( निवास )-

( कार्यालय )

मोबाईल नम्बर

ई-मेल



**ब्लेक लिस्ट /अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र**

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा सामान/सामग्री की गुणवत्ता एवं सन्तोषद आपूर्ति नहीं करने के लिए कोई शास्त्रित आरोपित नहीं की गई है एवं न ही ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेशी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपूहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

**बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर**

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न० ( निवास )-

( कार्यालय )

मोबाइल नम्बर

ई-मेल

**-:निविदादाताओं द्वारा घोषणा:-**

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेंट/उप विक्रेता/विक्रेता हूँ/हैं। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपुहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

**बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर**

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न० ( निवास )-

( कार्यालय )

मोबाईल नम्बर

ई-मेल

## मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल के क्रयार्थ सीमित निविदा 05 / 2021-22

नोट-निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदा प्रैरित करने समय इसकी पूर्णरूप पालना करनी चाहिए. इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। इस निविदा/अनुबन्ध के क्रम में ली जाने वाली सभी आपूर्ति पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उद्योगन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उद्योगन में पारदर्शिता नियम, 2013 प्रमानी होंगे।

1. निविदा दाताओं को निविदा सूचना, बिड प्रपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रक्षण एवं किशोर गृह न्यायागर्व कोटा के नाम से संशोधन करते हुए मुहर बंद प्रथम लिफाफे में अपनी बिड लिप्त पर " **मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल** के क्रयार्थ सीमित निविदा तकनीकी बिड" लिखा हो में प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय लिफाफे में **मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल** के क्रयार्थ सीमित निविदा वित्तीय बिड प्रपत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा। दोनों ही लिफाफे को एक अन्य बड़े लिफाफे में जिस पर ' **मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल** के क्रयार्थ सीमित निविदा " लिख कर कार्यालय में विधायित समय दिनांक 05.04.2022 को दोपहर 02:00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है।
2. बिड प्रपत्र मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रक्षण एवं किशोर गृह न्यायागर्व कोटा में द्यायित रूप से जमा कराई जा सकती है अथवा रजिस्टर्ड डाक से प्रैरित की जा सकती है। यदि लिफाफे पर उपर्युक्तनुसार विवरण अंकित नहीं किया जाता है तो उद्योगन संस्था इसके परिणामों के बारे में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी। डाक से प्राप्त होने वाली निविदाएं निधारित विशिष्ट एवं समय तक कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। देशी एवं विदेश से प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। डाक डिब्रीडरी में रहीं किसी खाती के लिए उद्योगन संस्था कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगी।
3. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्तों की स्वीकृति एवं सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. **बोलीदाता द्वारा निम्नानुसार बोली रक्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :- प्रथम लिफाफा**
  - (1) निविदा प्रपत्र भरा हुआ व हस्ताक्षरित
  - (2) निविदा प्रपत्र का शुरू (रु. 200/- का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक की प्रति )
  - (3) बिड प्रत्यूति साक्षि रु0 4,800/- के बैंक ड्राफ्ट की प्रति
  - (4) **Annexure –A,B,C,D**,हस्ताक्षरित
  - (5) निविदादाता की फेनकाई की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि
  - (6) अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र जो बिड शर्तों के अधीन आवश्यक हो।

## 5- द्वितीय लिफाफा – Annexure –E हस्ताक्षरित (वित्तीय बोली प्रपत्र)

6. निविदाएं/ बोली थोक/ शैटल विक्रेता/ बोनफाईड/ प्राधिकृत डीलर/ सोल एजेंट/ विपणन एजेंट/ सद्व्यवहारी द्वारा ही दी जाएगी। अतः Annexure-B(एफशार-11 प्रपत्र) में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
7. **आयकर प्रमाण पत्र एवं पेन नम्बर**—निविदादाता द्वारा पेन कार्ड की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी ।
8. **बिड प्रपत्र का मूल्य**—बिड प्रपत्र **अधीक्षक राजकीय सम्प्रक्षण एवं किशोर गृह न्यायागर्व कोटा** कार्यालय में दिनांक 05.04.2022 को दोपहर 01.00 बजे तक डी0डी0/ बैंकर्स चेक / रु. 200/- रु. की प्रति जमा करा कर भी प्राप्त किए जा सकते है।
9. **ब्लेक रिस्टर्ड के संबध में घोषणा**—निविदादाता/ बोलीदाता फर्म को Annexure –A में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/निगम/बोर्ड आदि के द्वारा सामान्य/ सामग्री की गुणवत्ता एवं सन्तोषद आपूर्ति नहीं करने के लिए कोई शाशित आरोपित नहीं की गई है एवं न ही ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।
10. **निविदा प्रपत्र का छपाई/ प्रीन्टिंग**—निविदा प्रपत्र कार्यालय से ही प्राप्त किया जा सकता है सभी परिस्थितियों में सफेद कागज पर छपे हुए या प्रीन्ट किया गया निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा। अन्य किसी स्पीन कागज पर प्रेन्ट किया गया निविदा प्रपत्र अस्वीकार कर दिया जावेगा।
11. **निविदा प्रपत्र का भरना**—निविदा प्राप्ता स्थली से भरे जाएंगे। पेशित से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में, निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेंगे।
12. **बिड प्रपत्र शुरू में किसी भी प्रकार की छुट प्रदान नहीं की जावेगी।**
13. **निविदादाता द्वारा राजस्थान की लघु उद्योग इकाई के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करने अनिवार्य होंगे** :- राजस्थान की लघु उद्योग इकाईयों जो आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रिकृत है, पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति एवं विल (जीएफएडआर) विभाग के आदेश क्रमांक P.



- 1(1)सावितेलेनि/2007/दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 के बिन्दु संख्या 8 (आई) के अनुसार 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें निविदात आईटम का स्पष्ट उल्लेख हो। उक्त दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा, और निघोरित बिड प्रतिभूति बोण्ड/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
14. **मूल्य अधिमान :-**मूल्य अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 एवं उसमें किये संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार क्रय अधिमान दिया जावेगा। प्रस्तुत दरों की तुलना प्रति आईटम एवं सभी आईटम की कुल लागत दोनो के आधार पर लिया जाकर निर्णय लिया जावेगा।
15. **दरों का अंकन:-**दरों को शब्दों और अंको, दोनों में ही लिखा जाएगा। गलतियां तथा/अथवा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई संशोधन हों तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाए और उन पर तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाएं। प्रस्तुत दरों में, अंकों एवं शब्दों में वर्णित दरों में अन्तर नहीं होना चाहिए ऐसी परिस्थिति में जो भी दर कम होगी वो उपापन संस्था द्वारा मान ली जाएगी। माल का परिदान संबन्धित स्थानों के परिसर पर किया जाएगा अतः निविदादाता को उक्त स्थानों पर एफ0ओ0आर0 दर प्रस्तुत की जानी होगी।
16. **वित्तीय दरें एवं सामग्री की प्रदायगी:-**
- (अ)वित्तीय बोली प्रपत्र में दरें सभी प्रकार के खर्चों (जैसे जी0एस0टी0, भाडा, पैकिंग, मजदूरी, चुंगी एवं अन्य कर सहित) उल्लेखित की जाएगी। माल पहुँचाने का उतरवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा। दरों में जीएसटी की राशि सम्मिलित की जावे। सभी प्रकार के जीएसटी(CGST/RGST/IGST) का भुगतान बिल पर अलग से नहीं किया जाएगा। उसे कोट की गई दर में ही सम्मिलित माना जाएगा।
- (ब)बोलीदाता आवश्यक रूप से मूल दर(समस्त खर्चों सहित) का कॉलम में अंकन करेगा। यदि बोलीदाता वित्तीय बिड में किसी प्रकार के जीएसटी का मूल दर के निर्धारित कॉलम में मूल दर में जोड कर अंकन नही करता है तो प्रस्तुत दर जीएसटी सहित मानी जावेगी। ऐसी परिस्थिति में जीएसटी को अलग से दर्शाने या निविदादाता का किसी प्रकार का स्पष्टीकरण स्वीकार्य नही होगा।
- (स) वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 65 एवं 66 के अनुसार होगा।
17. **अस्वीकृत किया जाना :-**
- (अ)निरीक्षण के या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गयी वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हें क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाता अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।
- (ब)तथापि, यदि सरकारी कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अंशतः साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी, निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।
- (स)अस्वीकृत की सूचना के 02 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएंगी, उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा और उसे अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस रीति से कर दे जिसे वह उपयुक्त समझे।
18. **परिदान कालावधि:-** जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो चुकी है वह सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रदाय आदेश की तारीख से निर्धारित कालावधि के भीतर कार्यालय को प्रदाय हेतु व्यवस्था करेगा।
19. **नमूना एवं तकनीकी मापदण्ड :-** Annexure -C में वर्णितानुसार सामग्री का तकनीकी रूप से निर्दिष्ट होना आवश्यक है। दिये गये तकनीकी मापदण्ड से कम की सामग्री स्वीकार्य नही होगी।
20. **प्राईस - शिड्युल:-** में वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसके लिए बोली स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। क्रय समिति न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगी। क्रय समिति बोली को स्वीकार करने/स्वीकार न करने/निरस्त करने या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। क्रय समिति का निर्णय वैधानिक तौर से सर्वोत्तम निर्णय माना जाएगा तथा सभी पक्षकारों के लिए मानने के लिए बाध्यकारी रहेगा।
21. **कार्यादेश की मात्रा एवं राशि की सीमा:-**यदि क्रय अधिकारी निविदात सामग्री में से किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या निविदा प्ररूप में वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता मुआवजे हेतु किसी दावें का हकदार नहीं होगा। दरें बोली खोले जाने की दिनांक से 31.03.2023 तक के लिए लागू रहेंगी। निविदादाता को चाहे कार्य आदेश अलग-अलग समयावधि में दिये जाएं उसके द्वारा बिड प्रपत्र में भरी गई दरें ही दिनांक 31.03.2023 तक मान्य रहेगी एवं उन्ही दरों पर भुगतान स्वीकृत किया जाएगा।

संविदा में **मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल** के क्रयार्थ अनुमानित लागत रु. 2,39,000/- का उल्लेख किया गया है। निविदादाता को उक्त लागत तक कार्य आदेश स्वीकृत किया जाना अनिवार्य होगा बजट सीमा में क्रयादेश स्वीकृत/अनुमोदित दरों पर दिनांक 31.03.2023 तक दिये जा सकेगें। अनुमानित लागत से कम के क्रयादेश देने हेतु उपापन संस्था स्वतंत्र रहेगी।

22. बिड प्रतिभूति बोण्ड :- बिड प्रतिभूति राशि रु0 4,800/- के बैंक ड्राफ्ट की प्रति बिड प्रपत्र शुल्क के साथ तकनीकी बिड वाले लिफाफे में मूहरबंद कर दिनांक 05.04.2022 को दोपहर 02:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।
23. बिड प्रतिभूति राशि का समपहरण :- अग्रिम राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा :-
- (I) जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को रुपान्तरित कर देता है।
- (II) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि हो, निष्पादित नहीं करता।
- (III) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।
- (IV) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।
- (V) जब कोई बोलीदाता स्वीकृत की गई दरों की सूचना के 7 दिवस में अथवा वृद्धि की गई अवधि में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आपूर्ति हेतु निर्धारित अनुबंध पत्र भरकर नहीं देता है, तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस हेतु किसी प्रकार की पूर्व सूचना बोलीदाता को नहीं दी जावेगी।
- (VI) यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 वं नियम 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।
- (VII) बोली प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

24. करार का निष्पादन:-

- 1-उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
- 2-सफल बोली लगाने वाले को 7 दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है। उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- 3-यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है 7 दिवस के भीतर संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। ऐसे मामलों में कार्यालय उपापन प्रक्रिया को रद्द कर सकेगा या उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगा।
- 4-बोली लगाने वाले को, उसके खर्च पर विनिर्दिष्ट मूल्य 500/- रु. के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा तथा उपापन संस्था को मूल करार पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- 5-करार का सम्पादन नहीं किये जाने पर निविदादाता को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 6-बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरे वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 31.03.2023 तक निर्णय हेतु वैध होगी एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा अन्यथा बोली पर शर्त संख्या 27 अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-
- (I) भागीदारी फर्मों के मामलों में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।
- (II) यदि फर्म, फर्मों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष
- (III) एक मात्र स्वत्वधारित की दशा में निवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन संख्यांक
- (IV) कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।

25. कार्य सम्पादन प्रतिभूति:-

- 1-सफल निविदादाता को जिस सामग्री के लिये निविदाएं स्वीकार की गई है उनके निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत राशि अनुबंध निष्पादन के समय कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी।
- 2-कार्य सम्पादन प्रतिभूति पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 3-कार्य सम्पादन प्रतिभूति हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह नयागावं कोटा के नाम से देय हो एवं कोटा मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो स्वीकार किया जायेगा।
- 4-कार्यादेश में दी गई सामग्री की संतोषप्रद रूप से आपूर्ति की जाने पर एवं इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
- 5-कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी तथापि उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति बोण्ड लीया जायेगी। समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी तथापि उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति बोण्ड लीया जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।



26. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:—प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपूहृत किया जा सकेगा :-

- 1-जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- 2-जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- 3-प्रतिभूति निक्षेप को समपूहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
- 4-कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि उस मामले में जहाँ उपापन संस्था नमूनों को परीक्षण हेतु भिजवाती है एवं उसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त होने पर यदि निविदादाता तय समय सीमा में सामग्री को स्वयं के खर्च पर नहीं बदलता है तो बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
27. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रय समिति से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
28. भुगतान :-
  - 1-आपूर्ति पश्चात आपूर्तिकर्ता को भुगतान सामग्री की जांच व सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में होने का प्रमाण पत्र स्थान(जहां सामग्री सप्लाई की गई है।) से प्राप्त होने के पश्चात किया जाएगा।
  - 2-जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
  - 3-विवादास्पद मदों के संबंध में, नियमानुसार राशि को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
  - 4-फर्म के बिलों से भुगतान के समय नियमानुसार करों की कटौती की जाएगी।
  - 5-आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा भुगतान के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-
    - (1)-बिल दो प्रतियों में
    - (2)-पैन कार्ड की छाया प्रति
    - (3)-बैंक पास बुक की छाया प्रति या बैंक चैक जिसमें निविदादाता का नाम हो।
29. वसूलियाँ:—परिनिर्धारित नुकसानी कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गयी वस्तुओं की वसूली साधारण तौर पर बिल में से कटौती करके की जाएगी। क्रय समिति कम प्रदाय, टूट-फूट/नुकसान या रद्द की गयी वस्तुओं की सीमा तक राशि को तब तक रोके रखेगा जब तक कि वे संतोषजनक रूप से बदली नहीं जाएगी। यदि प्रदायकर्ता ऐसा नहीं करता है तो राशि की वसूली उसको देय बकायों में से कर ली जाएगी। यदि कोई कार्य शेष रहे तो उसकी मांग प्रदायकर्ता से की जाएगी तथा जब वसूली संभव न हो, तो उपापन संस्था प्रवृत्त विधि का सहारा लेगी।
30. निविदादाता स्वयं की शर्त:—यदि निविदादाता ऐसी शर्तों को आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा पर संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
31. परिसमापित नुकसानी(L.D.):— परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बिडदाता प्रदाय करने में असफल रहा है (इस संबंध में यदि कोई हो तो निविदा प्रपत्र में अंकित की गई शर्तें लागू होंगी)
  - 1-विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के लिए विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
  - 2-एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 प्रतिशत
  - 3-आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीनचौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
  - 4-विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
  - 5-प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
  - 6-परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
  - 7-यदि प्रदायकर्ता, किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा से घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
  - 8-यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
  - 9-परिनिर्धारित क्षति राशि की कटौती फर्म के लम्बित भुगतान राशि के पेटे जमा राशि में से की जावेगी।
32. पुनरादेश:—सामान/वस्तु की राशि अनुमानित है। अनुबंध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय, अनुमानित कीमत से कम हो सकती है जो क्रय राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 73 के अनुसरण में निम्नानुसार होगी:—

- (1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषय वस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबधित के सिवास किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबधित हो, संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिए जा सकेंगे। यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी अनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी।

**पुनरादेशकी सीमाएं— मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत**

33. **आपूर्तिकर्ता विवर्जित करना/काली सूची में दर्ज करना**— निर्धारित समयावधि में विशेष परिस्थितियों में आपूर्ति की समयवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् भी यदि कोई बोलीदाता द्वारा आदेशित सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो दोषी फर्म को नियमानुसार काली सूची में दर्ज करने/आगामी बोलियों में भाग लेने हेतु अधिकतम 3 वर्ष हेतु विवर्जित किया जा सकेगा। इसमें किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
34. **विवाद**—यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को कार्यालय उप निदेशक, सान्याअवि, कोटा को भेजा जायेगा, उसका निर्णय अन्तिम होगा।
35. **अपील**—यदि बोलीदाता/निविदादाता इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 40 के अधधीन रहते हुए उपापन संस्था द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील निर्धारित प्रक्रिया व फीस का भुगतान करने के पश्चात् कार्यालय उप निदेशक, सान्याअवि, कोटा को निर्णय/लोप होने के 10 दिन के भीतर कर सकेगा।

**प्रथम अपील अधिकारी** :- सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग कोटा

**द्वितीय अपील अधिकारी** :- निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, कावेरी पथ मानसरोवर, जयपुर

36. उक्त बोली शर्तों में किसी भी प्रकार की लिपकीय त्रुटी होने पर विभागीय उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
37. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्ष का (सरकार या ठेकेदार) द्वारा कोटा स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
38. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों, 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

मै/हम ( **अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह नयागावं कोटा** ) द्वारा जारी की गई निविदा संख्या 01/2021-22 क्रमांक:-सान्याअवि/2022/326 दिनांक:-28.03.2022 में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिए हमारी निविदा/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरुद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

**बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर**

बिड दाता का नाम

पूर्ण पता

टेलीफोन न0 ( निवास )-

( कार्यालय )

मोबाईल नम्बर

ई-मेल



कार्यालय राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, नयागावं, कोटा

email id- [balakhomekota123@gmail.com](mailto:balakhomekota123@gmail.com)

क्रमांक:-असगृ / 2022 / 326

दिनांक:-28.03.22

मौसमी हरि सब्जी, ताजा फल के क्रयार्थ सीमित निविदा 05 / 2021-22

(अन्तर्गत सूचना संख्या 05 / 2022 क्रमांक:-असगृ / 2022 / 326

दिनांक:- 28.03.22)

क्र. सं.	नाम सामग्री	सप्लाई मात्रा	दर (समस्त खर्चो एवं जीएसटी सहित) प्रति किलोग्राम/यूनिट रू. में	
			अंकों में	शब्दों में
1	हरी सब्जी पत्तेदार मौसम के अनुसार	(दर प्रति कि.ग्रा. ही प्रस्तुत की जाए)		
2	हरी सब्जी बिना पत्तेदार मौसम के अनुसार	(दर प्रति कि.ग्रा. ही प्रस्तुत की जाए)		
3	प्याज, लहसून, अदरक, हरी मिर्ची	(दर प्रति कि.ग्रा. ही प्रस्तुत की जाए)		
4.	ताजा फल मौसम के अनुसार	(दर प्रति कि.ग्रा. अथवा (प्रति 01 नग / 0.100 ग्राम ) ही प्रस्तुत की जाए)		

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

पूर्ण पता

बिड दाता का नाम

टेलीफोन न0 ( निवास )-  
( कार्यालय )

मोबाईल नम्बर  
ई-मेल